क्रम-संख्या-159

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०
डब्लू/एन०पी०—91/2008—10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 01 मई, 2008
वैशाख 11, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 727/79–वि–1–08-1(क)59/2007
लखनऊ, 01 मई, 2008

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 30 अप्रैल, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संया 14 सन् 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2008

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980 की धारा 5 का संशोधन

2—मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) उपधारा (5) में शब्द "बासठ वर्ष" के स्थान पर शब्द "पैंसठ वर्ष" रख दिये जाएंगे।

(ख) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"(6) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा यथासंशोधित उपधारा (5) के उपबन्ध उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पद धारण करने वाले प्रत्येक सदस्य पर भी प्रवृत्त होंगे।"

धारा 12 का संशोधन

3—उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 12 में, उपधारा (1) में, परन्तुक में, शब्द "दस वर्ष" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष" रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में नियुक्ति के लिये अध्यापकों के चयन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980) को संशोधित करके निम्नलिखित व्यवस्था की जाय :—

(क) अध्यक्ष और सदस्यों का पद धारण करने के लिये व्यक्तियों की अधिकतम आयु बासठ वर्ष से बढ़ाकर पैंसठ वर्ष कर दी जाय; और

(ख) स्थानान्तरण चाहने वाले किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापकों की सेवा अवधि दस वर्ष से घटाकर पाँच वर्ष कर दी जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
पी० बी० कुशवाहा,
सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYI ANUBHAG-1

No. 581(2)/LXXIX-V-1–08-2(ka) 2-2008
Dated Lucknow, May 1, 2008

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Uchchatar

Shiksha Seva Aayog (Dwitiya Sanshadhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 2008)promulgated by the Governor :–.

THE UTTAR PRADESH HIGHER EDUCATION SERVICES COMMISSION

(SECOND AMENDMENT) ACT, 2007

(U.P. ACT No. 14 of 2008)

(As Passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Higher Education Service Commission Act, 1980.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :–

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Second Amendment) Act, 2007. Short title

2. In section 5 of the principal Act, – Amendment of section 5 of U.P. Act no. 16 of 1980

(a) in sub-section (5) *for* the words "Sixty two years" the words "Sixty five years" shall be *substituted.*

(b) for sub-section (6) the following sub-section shall be *substituted,* namely:–

"(6) The provisions of sub-section (5) as amended by the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Second Amendment) Act, 2007 shall apply also to every member holding office immediately, before the commencement of the said Act."

3. In section 3 of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980 hereinafter referred to as the principal Act, in the proviso, *for* the words "ten years" the words "five years" shall be *substituted.* Amendment of section 12

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to motivating the selection of teachers for appointment to the colleges affiliated to or recognised by a University, It was decided to amend the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980 (U.P. Act no. 16 of 1980) to provide for,–

(a) increasing the maximum age of the persons to hold office of the chairman and members from sixty two years to sixty five years ; and

(b) reducing the period of service of the teachers of an affiliated or associated college to seek transfer from ten years to five years.

The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Second Amendment) Bill, 2007 is introduced accordingly.

By Order,
P. V. KUSHWAHA,
Sachiv..

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–67 राजपत्र–(हि0)–(160)–2008–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–6 सा0 विधायी–(161)–2008–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।